उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-4
संख्या-27/2021/209/38-4-21-123(विविध)/2017 टी.सी.-5
लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2021

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती है, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है, और किसी की पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये लाभार्थी सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपना हक सीधे प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं;

और चूँकि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''उक्त विभाग'' कहा गया है) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (एमएमएवाईजी) (जिसे आगे ''उक्त योजना'' कहा गया है) प्रशासित कर रहा है, जो ग्राम्य विकास विभाग (जिसे आगे ''उक्त क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण'' कहा गया है), के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और चूँकि उक्त योजना के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ग्रामीण परिवारों (जिन्हें आगे ''उक्त लाभार्थी'' कहा गया है) को सीधे सहायिकी प्रसुविधा अन्तरण (जिन्हें आगे ''उक्त प्रसुविधा'' कहा गया है) प्रदान किया जाता है;

और चूँकि पूर्वोक्त योजना में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

1- (1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए

किसी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि सम्बन्धित ब्लाक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परन्तु यह कि आधार किसी व्यक्ति को समनुदेशित किये जाने के समय तक, उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात्ः-

(क) यदि उसने नामांकन किया हो, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्ः-

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या(पैन) कार्ड; या

(तीन) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अधीन जारी जॉब (कार्य) कार्ड; या

(चार) राशनकार्ड; या

(पाँच) मतदाता पहचान पत्र; या

(छह) किसान फोटो पासबुक; या

(सात) पासपोर्ट, या

(आठ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या

(नौ) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय शीर्षनामा पर जारी किये गये ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2- उक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार उन्हें उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्ः-

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधाओं के परिदान के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहाँ कहीं संभाव्य और अनुज्ञेय हो सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जा सकता है;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो, वहाँ उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिनकी अधिप्रामाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस कोड (क्यू0आर0 कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पांस (क्यू0आर0) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4- उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

5- यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shashan
Gramya Vikas Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.27/2021/209/38-4-21-123(Vividh)/2017 TC-5, dated : July 30,2021.

NOTIFICATION

No.27/2021/209/38-4-21-123(VIVIDH)/2017 TC-5

***Lucknow*, *Dated* : July 30,2021**

WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND WHEREAS **the Department of Rural Development, Uttar Pradesh** *(hereinafter referred to as "the Department")* is administering the **Mukhya Mantri Awas Yojana-Grameen(MMAY-G)** (*hereinafter referred to as "the Scheme"*) **to provide a pucca house with basic amenities to all houseless households and households living in kutcha and dilapidated house in rural areas**, which is being implemented through the **Department of Rural Development** (*hereinafter referred to as the "Implementing Agency (ies)"*);

AND WHEREAS under the said Scheme, Direct Benefit Transfer of subsidy (*hereinafter referred to as the "benefit"*) is given to the **rural households** (*hereinafter referred to as "the beneficiaries"*) by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

AND WHEREAS the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no.18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the State Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

http://shasanadesh.up.gov.in

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at the Unique Identification Authority of India(UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

   (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

   Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip ; and
(b) any one of the following documents, namely:-
   i. Bank or Post office Passbook with Photo; or
   ii. Permanent Account Number (PAN) Card; or
   iii. Job card issued under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme; or
   iv. Ration Card; or
   v. Voter Identity Card; or
   vi. Kisan Photo Passbook; or
   vii. Passport; or
   viii. Driving license issued by the licensing authority under the Motor Vehicles Act,1988 (Act no.59 of 1988); or
   ix. Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted officer or a Tehsildar on an official letterhead; or
   x. any other document as specified by the Department:

   Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiary or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or face authentication facility shall be adopted for authentication. Thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for IRIS scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints, IRIS scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One-Time Password or time- based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aaadhar One-Time Password or time-Based One-Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) Code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response (QR) Code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December, 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official *Gazette*.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH
Additional Chief Secretary.

http://shodhganga.inflibnet.ac.in

संख्या-27/2021/209(1)/38-4-2021, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त सचिव, भाषा विभाग, उ0प्र0 सचिवालय को इस अधिसूचना को उर्दू में अनुवाद कर असाधारण गजट में प्रकाशित कराने हेतु ।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा सचिवालय को 05 प्रतियां।
8. विधायी अनुभाग-1
9. समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
10. समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-27/2021/209(2)/38-4-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय शाखा मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी आसाधरण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख के परिनियम आदेश में प्रकाशनार्थ प्रेषित। मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in